GOVERNMENT OF INDIA
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

ADVERTISEMENT NO. 01/ 2013-R-III

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION 31.05.2013

"GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY."

Applications are invited for the following posts from eligible candidates against the vacancies in BARC and constituent units of DAE located in Mumbai and Navi Mumbai. -

Category No.	**Name of the post & Pay particulars**	**Details of Vacancies**				
		UR	SC	ST	OBC	Total
1	Stenographer Grade – III (Pay Band.1: ₹ 5200–20200 + Gr Pay. ₹ 2400/-), DA, HRA & Travelling allowance as admissible under Central Govt. rules.	14	4	3	07	28
2	Stenographer Grade – II (Pay Band.2: ₹ 9300–34800 + Gr Pay. ₹ 4200/-), DA, HRA & Travelling allowance as admissible under Central Govt. rules.	07	-	01	-	08

2. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS & EXPERIENCE: -

Category No.	**Essential Qualifications & Experience**		**Desirable Qualifications**
1.	(i)	Matriculation or equivalent	Knowledge of Computer Application, Data Entry & Data Processing,
	(ii)	Minimum speed of 80 w.p.m in English Shorthand & 30 w.p.m in English Typewriting	
2.	(i)	Matriculation or equivalent	
	(ii)	Minimum speed of 100 w.p.m in English Shorthand and 45 w.p.m in English Typewriting	
	Note: In addition to the above mentioned essential qualification, preference will be given to candidates having knowledge of Hindi Typewriting & Shorthand.		

3. AGE LIMIT AS ON 31.05.2013 Min. 18 years for both the posts. Category wise Maximum age limit under relaxation is as given below:

Category of candidates	Maximum Age (in years)	Condition for relaxation of age
General Candidates	27	N.A
Scheduled Caste/ Scheduled Tribe	32	Caste certificate should be issued by authorised authority in the prescribed format and the community should have been included in the Presidential orders in relation to the concerned state.
Other Backward Class	30	Caste certificate should be issued by authorised authority in the prescribed format with non-creamy layer certificate and the community should have been included in the Central lists of other Backward Caste.
Persons domiciled in Kashmir Division of Jammu Kashmir	32	Persons who had ordinarily been domiciled in Kashmir Division of the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January 1980 to the 31st December 1989 provided that the relaxation in the upper age limit for appearing at any examination shall be subject to the maximum number of chances permissible under the relevant rules. Certificate should be from 1. The District Magistrate within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided (or) 2. Any other authority designated in this behalf by the Government of Jammu & Kashmir to the effect that he had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st

		day of January 1980 to the 31st day of December 1989.
Persons with Disability	SC/ST – 42 OBC - 40 Gen – 37	According to the persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Rules, 1996 notified on 31/12/1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Act, 1995 (1 of 1996), a disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central or State Government. The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who acquired Permanent disability, the validity can be shown as permanent. Hearing Impairment means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. Physical deformity should not be less than 40 percentage.
Ex-Servicemen		An ex-servicemen means a person who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy, Air Force of the Indian Union and (i) Who retired from such service after earning his/her pension. This would also include persons who are retired /retire at their own request by after having earned their pension or (ii) Who has been released from such service on medical grounds attributable to military service/circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension (iii) Who has been released, otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment or (iv) Who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at this own request or by way of dismissal or discharged on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity and includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely : (a) Pension holders for continous embodied service. (b) Pension with disability attributable to military service and (c) Gallantry award winners.
Departmental Candidates (For Central Government Employees)		
For Stenographer Gr.III	SC/ST – 45 OBC – 43 Gen – 40	Should have rendered not less than 3 years continuous /regular central government service in the same or allied cadre as on 31.05.2013 (last date of application).
For Stenographer Gr.II	SC/ST – 37 OBC – 35 Gen – 32	

Note:

1. The upper age limit is also relaxable suitably in cases of certain other categories such as Children/Family member of those died in 1984 riots, Ex-servicemen, repatriates, retrenched employees etc. as per rules.

2. Reservation for Ex-servicemen will be applicable as per Government order for the post of Stenographer Gr.III only.

3. Ex-Serviceman who have already secured employment in civil side under Central Government in Group C & D posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are NOT ELIGIBLE for claiming benefits of reservation under ex-serviceman category.

4. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

5. Only date of birth indicated in SSC/Secondary School Leaving Certificate/Birth Certificate will be accepted. No subsequent request for change shall be granted.

4. METHOD OF SELECTION / RECRUITMENT:

Selection will be made on qualifying the following examination. All tests will be held in Mumbai.

Category No.	Post	Syllabus of Screening/ Written Test *	Duration	Skill Test	Interview
1	Stenographer Grade-II	Paper I [General English] & Paper II [General Knowledge and Elementary Arithmetic]	1 ½ Hrs	Stenography Test [Typing to be done in Computer (MS word)]	Those who qualify in written test and skill test will be called for interview.
2	Stenographer Grade-II				
	* Objective type questions with multiple-choice answer				

5. Nature of Duties:

Stenographer Grade – III & II : Taking dictation in shorthand and its transcription in e-media, fixing of appointments, attending telephone calls & visitors, general assistance in matters of correspondence, filing papers, movement of files, co-ordination with various agencies. Preparation of draft notes, letters, minutes etc

6. HOW TO APPLY: -

1. Details of online applications are available in website www.barcrecruit.gov.in
2. Persons working under the Central / State Government/Public Sector Undertakings should submit their "NO OBJECTION CERTIFICATE" at the time of interview.
3. Application will be accepted online only.

7. NOTE :

a. SC/ST outstation candidates will be paid to and fro travelling allowance of second-class Railway fare by the shortest route (subject to production of tickets) as admissible under the Rules. However, Travelling Allowance is not admissible to those SC/ST candidates who are already in Central/State Government services, Central/State Government Corporation, Public Undertakings, Local Government Institutions and Panchayats and the Concession availed from Railways, if any, for undertaking journey for attending written examination.

b. Applications, which are not in conformity with the requirements indicated in the advertisement, are liable to be rejected at any stage.

c. Candidates may ensure that they fill in the correct information. Candidates who furnish false information will be disqualified for skill test/interview.

d. BARC reserves the right to fill up the post or even to cancel the whole process of recruitment without assigning any reasons.

e. Mere fulfilling the requirements as laid down in the advertisement does not guarantee candidates being called for written examination etc. No correspondence will be entertained with candidates not considered for written examination / stenography / typing test / oral interview / appointment.

f. More vacancies may also be filled through this advertisement. The vacancies shown above are provisional and subject to variation. The filling up of vacancies indicated in the advertisement is also subject to the approval of Competent Authority and may not be filled up if decided otherwise in terms of the orders issued from Government from time to time.

CANVASSING IN ANY FORM WILL BE A DISQUALIFICATION

RECORDS OF THE CANDIDATES NOT SELECTED SHALL NOT BE PRESERVED BEYOND 06 MONTHS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF SELECT LIST.

This advertisement is also available on BARC website at www.barc.gov.in

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

विज्ञापन सं. 1/2013-भर्ती-III

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31.05.2013

भापअ केंद्र इस प्रकार के कार्य बल के लिए प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे और इसलिए महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और मुंबई एवं नवी मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक इकाइयों में रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

श्रेणी सं.	**पद का नाम एवं वेतन विवरण**	**रिक्तियों का ब्योरा**				
		अनारक्षित	**एससी**	**एसटी**	**ओबीसी**	**कुल**
1	आशुलिपिक ग्रेड- III (वेतन बैंड 1: रु. 5200-20200+ ग्रेड वेतन रु. 2400/-) डीए, एचआरए एवं यात्रा भत्ता जैसा कि केंद्रीय सरकार नियमों के अंतर्गत अनुमेय है।	14	4	3	07	28
2	आशुलिपिक ग्रेड- II (वेतन बैंड 2: रु. 9300-34800+ ग्रेड वेतन रु. 4200/-) डीए, एचआरए एवं यात्रा भत्ता जैसा कि केंद्रीय सरकार नियमों के अंतर्गत अनुमेय है।	07	-	01	-	08

2. शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव:

श्रेणी सं.	**आवश्यक योग्यताएं एवं अनुभव**		**वांछनीय योग्यताएं**
1.	(i)	मैट्रिक्युलेशन या समतुल्य	कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा एंट्री एवं डाटा प्रोसेसिंग का ज्ञान
	(ii)	अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति	
2.	(i)	मैट्रिक्युलेशन या समतुल्य	
	(ii)	अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण में 45 शब्द प्रति मिनट की गति	
	नोट : उपर्युक्त आवश्यक योग्यता के अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों को हिन्दी टकन एवं आशुलिपि का ज्ञान हो उन्हे अधिमान दिया जाएगा !		

3. **दिनांक 31.05.2013 को आयु सीमा**: दोनों पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष। छूट के अंतर्गत श्रेणी अनुसार अधिकतम आयुसीमा निम्नानुसार होगी:

अभ्यर्थियों की श्रेणी	**अधिकतम आयु (वर्ष में)**	**आयु में छूट हेतु शर्तें**
सामान्य श्रेणी	27	लागू नहीं
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	32	जाति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए और वह जाति संबंधित राज्य हेतु राष्ट्रपति आदेशों में शामिल होनी चाहिए।
अन्य पिछडी हुई जाति	30	जाति प्रमाणपत्र गैर क्रीमी लेयर हेतु निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए और अन्य पिछडी हुई जाति की केंद्रीय सूचियों में शामिल होनी चाहिए।
जम्मु कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में अधिवासित व्यक्तियों के लिए	32	जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं, बशर्ते कि संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार किसी भी परीक्षा में भाग लेने के हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है। 1. जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्रधिकार में वे मूलरूप में रहते थे; अथवा 2. अन्य प्राधिकारी जो जम्मू व कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो उससे इस आश्य का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा कि वे जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान मूलरूप अधिवासी रहे हैं।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु	एससी/एसटी-42 ओबीसी-40 सामान्य-37	केंद्र सरकार द्वारा अशक्तता से ग्रसित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 (1996 के 1) की धारा 73 की उपधारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.1996 को अधिसूचित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता नियमावली के अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अशक्तता प्रमाणपत्र जारी करना। जिन व्यकितयों की अशक्तता अस्थाई उनका प्रमाणपत्र पांच वर्षों की अवधि हेतु मान्य रहेगा। चिकित्सा बोर्ड को प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि इंगित करनी होगी जहां अशक्तता की मात्रा में विभिन्नता की संभावना हो। वे व्यक्ति जिनकी अशक्तता स्थाई है उनके प्रमाणपत्र स्थाई रूप से वैध हो सकते हैं। सुनने की क्षमता कम होने का अर्थ है कि 60 डेसिबल अथवा अधिक क्षति। शारीरिक विकृति 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
भूतपूर्व-रक्षाकर्मी		भूतपूर्व रक्षाकर्मी का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के अंतर्गत किसी भी रेंक में सेवा की हो चाहे वह योधी हो अथवा अयोधी और i) जो इस प्रकार की सेवा से अपनी पेंशन लेने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हो। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पेंशन लेने के बाद सेवानिवृतत हो चुके हैं/ स्वयंम के अनुरोध पर सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा ii) जिन्हें ऐसी सेवा से सैनिक सेवा उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर कार्य मुक्त किया गया हो और चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई हो। iii) जिन्हें स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से उनके अपने अनुरोध के अलावा कार्यमुक्त किया गया हो अथवा iv) जो अपने इस अनुरोध के अलावा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अथवा बरखास्तगी के कारण ऐसी सेवा से मुक्त हुआ हो अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और उपदान (ग्रैज्युटी) प्रदान की गई हो और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल हैं। (क) लगातार मूर्त सेवाओं हेतु पेंशन धारक (ख) सैनिक सेवाओं के कारण हुई अशक्तता हेतु पेंशन (ग) वीरता पुरस्कार विजेता
विभागीय अभ्यर्थी (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए)		
आशुलिपिक ग्रेड- III	एससी/एसटी- 45 ओबीसी- 43 सामान्य- 40	दिनांक 31.05.2013 (आवेदन की अंतिम तारीख) तक समान संवर्ग अथवा संबंधित संवर्ग में कम से कम तीन वर्ष की लगातार/नियमित सेवा पूरी की हो।
आशुलिपिक ग्रेड- II	एससी/एसटी- 37 ओबीसी- 35 सामान्य- 32	

नोट:

1. नियमानुसार 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों,भूतपूर्व रक्षाकर्मियों, प्रत्यावासियों, छंटनीकृत कर्मचरियों के बच्चों/ परिवार के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

2. भूतपूर्व-रक्षाकर्मी हेतु आरक्षण केवल आशुलिपिक श्रेणी–III के पद के लिए सरकारी आदेश के अनुसार लागू होगा।

3. जिन भूतपूर्व रक्षाकर्मियों ने अपने पुन: नियोजन हेतु भूतपूर्व रक्षा कर्मी को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपयोग करने के बाद नियमित आधार पर ग्रुप सी एवं डी में केंद्र सरकार के अधीन सिविल क्षेत्र में पहले ही रोजगार ले लिया है **वे भूतपूर्व रक्षाकर्मी की श्रेणी के तहत आरक्षण लाभों का दावा करने के पात्र नहीं हैं।**

4. आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक दिनांक, भारत के अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति हेतु दी गई अंतिम तारीख के अनुसार होगी (उनके अलावा जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप में रहते हैं)

5. केवल वही जन्मतारीख स्वीकार की जाएगी जो एसएससी/माध्यमिक विद्यालय लीविंग प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र में इंगित होगी। इसे बदलने के लिए कोई भी अनुवर्ती अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

4. **चयन/भर्ती की पद्धति:**

चयन निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर होगा। सभी परीक्षाएं मुंबई में आयोजित की जायेंगी।

श्रेणी सं.	पद	स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम	समय	कुशलता परीक्षा	साक्षात्कार
1	आशुलिपिक ग्रेड- III	प्रश्नपत्र I [सामान्य अंग्रेजी] & प्रश्नपत्र II [सामान्य ज्ञान एवं प्राथमिक गणित]	1 घंटे	आशुलिपि परीक्षा [टाइपिंग कंप्यूटर पर होगी (एमएस वर्ड)]	जो व्यक्ति लिखित एवंम कुशलता परीक्षा पास कर लेंगे उनका ही साक्षात्कार लिया जाएगा।
2	आशुलिपिक ग्रेड- II				
	* मल्टीपल चौइस वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न				

कार्य का स्वरूप:

आशुलिपिक ग्रेड-III एवं II: आशुलिपि में श्रुतलेखन लेना और ई.मीडिया में इसे लिप्यात्रिंत करना, समय लेना, टेलीफोन कॉल्स लेना और आगंतुकों का स्वागत करना, पत्राचार के मामलों में सामान्य सहायता करना, कागज़ों को फाइल में लगाना, फाइलों का संचलन, विभिन्न एजेन्सियों के साथ सहयोग करना। टिप्पणियां, पत्र एवं कार्यवृततों इत्यादि के ड्राफ्ट तैयार करना।

आवेदन कैसे करें:

1. वेबसाइट www.barcrecruit.gov.in में ऑनलाइन आवेदनों के विवरण उपलब्ध हैं।
2. जो व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं उन्हें साक्षात्कार के समय "अनापत्ति प्रमाण-पत्र"
3. केवल ऑनलाईन आवेदन स्विकार किए जाएंगे।

7. **टिप्पणी:**

क. बाहर से आने वाले एससी/एसटी के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार अनुमेय आने एवं जाने का रेल के लघुतम मार्ग का द्वितीय श्रेणी का किराया (टिकट प्रस्तुत करने पर) दिया जाएगा। तथापि लिखित परीक्षा हेतु आने वाले उन एससी/एसटी अभ्यर्थियों को जो केंद्र/राज्य सरकार सेवाएं, केंद्र/राज्य सरकार सेवाएं, केंद्र/राज्य सरकार निगम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थाओं एवं पंचायतों में पहले से ही कार्यरत हैं अथवा जो रेल्वे से छूट ले रहे हैं उन्हें यात्रा-भत्ता अनुमेय नहीं है।

ख. जिन आवेदनों में विज्ञापन में मांगी गई वांछित अपेक्षाओं का पूरा नहीं किया गया है उन्हें किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है।

ग. अभ्यर्थी सही सूचनाएं भरना सुनिश्चित करें। जो अभ्यर्थी गलत सूचनाएं देंगे उन्हें कुशलता परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अयोग्य माना जाएगा।

घ. भापअ केंद्र के पास बिना कोई कारण बताए किसी पद अथवा संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के अधिकार सुरक्षित है।

ड. विज्ञापन में दी गई सभी अपेक्षाओं को पूरा करने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा इत्यादि के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा/आशुलिपि/टंकण परीक्षा/मौखिक साक्षात्कार/नियुक्ति के विषय में अभ्यर्थी द्वारा किए गए किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

च. इस विज्ञापन के माध्यम से और अधिक रिक्तियां भी भरी जा सकती हैं। उपरोक्त दर्शायी गई रिक्तियां अनंतिम हैं और इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। विज्ञापन में दर्शायी गई रिक्तियों का भरा जाना भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होगा और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उन्हें न भरे जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश को अयोग्यता माना जाएगा

जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह तक की अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा।

उपरोक्त विज्ञापन भापअ केंद्र की वेबसाईट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है।